लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/अ–2/36/2009/1523 भोपाल, दिनांक 27/11/09

//आदेश//

मान. उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर में प्रस्तुत याचिका डब्ल्यू.पी. 5439/09 (एस) में पारित आदेश दिनांक 31.08.09 में श्री जय प्रकाश दुबे, व्याख्याता, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में शिक्षक पद से व्याख्याता पद पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना शा.कन्या उ.मा.वि. बुरहानपुर के स्थान पर इन्दौर में रिक्त पद पर किया जाने का अनुरोध किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण चार सप्ताह में किए जाने के निर्देश दिए गए है । प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है :–

1. श्री जय प्रकाश दुबे, व्याख्याता की पदोन्नति संचालनालय के आदेश कमांक स्था.2/अ/पदो./05/2009/884 भोपाल दिनांक 01.08.2009 द्वारा शास. कन्या उ.मा.वि. बुरहानपुर में व्याख्याता संस्कृत के पद पर की गई थी ।
2. शिक्षक पद से व्याख्याता पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पात्र पाये गये पदोन्नत लोक सेवको के पदस्थापना के संबंध में राज्य स्तर पर पारदर्शी काउंसलिग की प्रकिया अनुसार विषयमान से रिक्त पदो पर सहमति अनुसार पदस्थापना की गई है ।
3. श्री जय प्रकाश दुबे, संस्कृत व्याख्याताओं की काउंसलिग तिथि 12.07.09 को संचालनालय में प्रस्तुत अभिलेखों अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर द्वारा काउंसलिग की तिथि को उपस्थित होने के निर्देश होने के बावजूद भी अनुपस्थित थे ।
4. शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार पदोन्नत व्याख्याताओं का पदांकन विषयमान से रिक्त व्याख्याताओं के पद पर किया गया है ।
5. वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला इंदौर के शा.उ.मा.वि. में व्याख्याता संस्कृत विषय का कोई भी पद रिक्त नहीं है ।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में मान. न्यायालय निर्णय दिनांक 31.08.09 में श्री दुबे का अभ्यावेदन सम्यक रूप से विचार करते हुये अमान्य किया जाता है ।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठां.कमांक/स्था.2/अ–2/36/2009/1524 भोपाल, दिनांक 27/11/09
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इंदौर ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ इंदौर ।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि (स्थानीय)।
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला इदौर/बुरहानपुर ।
6. श्री जय प्रकाश दुबे, व्याख्याता, शा.क.उ.मा.वि. बुरहानपुर ।

की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.